In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
Spl. SC/ST R No.- 92/2019
Palasi PS Case No.-108/2019
CIS No.-92/2019
(State Vs. Shah Ekram & 02 others.)

FORM-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। उपस्थितः—शशि भूषण कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। निर्णय की तिथि — 10.06.2026 विशेष एससी/एसटी वाद संख्या—92/2019 पलासी थाना काण्ड संख्या—108/2019 सी0आई0एस0 संख्या—92/2019 अन्तर्गत धारा 341, 323, 379, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act. अंकित किया गया।	
सूचक	राज्य (द्वारा राम कृष्ण मांझी) पिता—स्व0 सुक्कल मांझी सा0 कचना वार्ड नं0 10 थाना पलासी जिला अररिया।
प्रतिनिधित्व राज्य के तरफ से	श्री कलानंद राम, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त	1.शाह एकराम 2.शाह सौदागर 3.शाह कमल
प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से अधिवक्ता	1. श्री रेश लाल दास, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

अपराध की तिथि	10.04.2019 से 11.04.2019
प्राथमिकी की तिथि	12.04.2019
आरोप पत्र की तिथि	30.09.2019
आरोप गठन की तिथि	20.01.2020
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	24.02.2020
निर्णय हेतु तिथि निर्धारण	10.06.2026
निर्णय की तिथि	10.06.2026
सजा की तिथि, यदि कोई हो	—

In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
Spl. SC/ST R No.- 92/2019
Palasi PS Case No.-108/2019
CIS No.-92/2019
(State Vs. Shah Ekram & 02 others.)

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्सर्मपण की तिथि	जमानत की तिथि	आरोप गठित धारा	रिहाई / सजा	सजा दी गयी	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.P.C .
01.	शाह एकराम	16.09.2019	16.09. 2019	323/34, 341/34, 379/34, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act.	दोषमुक्त	–	–
02.	शाह सौदागर	16.09.2019	16.09. 2019	323/34, 341/34, 379/34, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act.	दोषमुक्त	–	–
03.	शाह कमल	16.09.2019	16.09. 2019	323/34, 341/34, 379/34, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act.	दोषमुक्त	–	–

FORM-C

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय साक्षीगण की सूचीः–

A. अभियोजन

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
01.	राम कृष्ण मांझी	सूचक

B. प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

C. न्यायालय साक्षी यदि कोई होः– लागू नहीं।

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
Spl. SC/ST R No.- 92/2019
Palasi PS Case No.-108/2019
CIS No.-92/2019
(State Vs. Shah Ekram & 02 others.)

A. अभियोजन

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

D. वस्तु प्रदर्श साक्ष्य– लागू नहीं।

क्र0सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

निर्णय

1.उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–20.01.2020 को धारा 323/34, 341/34, 379/34, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act. के अंतर्गत आरोपों का गठन कर इसकी व्याख्या हिन्दी में पढ़कर सुनाया वो समझाया गया, जिसे अभियुक्त इंकार किये और अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण किये जाने का दावा किये।

2.सूचक राम कृष्ण मांझी के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 10.04.2019 की रात्रि में उसका मवेशी चोरी हो गया। मवेशी के पैर का चिन्ह् के आधार पर खोजबीन करते हुए मेहरू चौक की ओर गया, तो देखा कि प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण के घर के पास गया तो देखा कि घर के पिछवाड़े में मवेशी का बांध कर रखने के पैर के काफी चिन्ह् था। खोजबीन करने के उद्देश्य से पूछताछ किया तो सभी लोग गाली–गलौज तथा लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगा।

3.सूचक राम कृष्ण मांझी के लिखित आवेदन के आधार पर पलासी थाना कांड संख्या– 108/2019 पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 379, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act. के अन्तर्गत दिनांक–30.09.2019 को आरोप पत्र समर्पित किया, तदुपरांत अभिलेख पर उपलब्ध

सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 06.11.2019 को धारा 341, 323, 379, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act. के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया गया।

4.पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर वाद में विचारण चला।

5. मैं पाता हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–20.01.2020 को आरोपों का गठन किया गया। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य बंद होने के पश्चात् दिनांक–03.06.2026 को अभियुक्तगण का बयान अधीन धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोप को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

अवधारण के लिए बिन्दु
(POINT FOR DETERMINATION)

6.अब इस न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोप अधीन धारा 323/34, 341/34, 379/34, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act. को सभी तर्कसंगत एवं उचित शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है ?

चर्चा, निर्णय और उसके कारण
(DISCUSSION, DECISION AND REASONS THEREON)

7.अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोपों के समर्थन में एकमात्र साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या–01 राम कृष्ण मांझी को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई प्रदर्श नहीं कराया गया है।

8.बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में किसी भी सफाई साक्षी का साक्ष्य व सबूत न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अब मैं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण कर देखते हैं कि अभियोजनपक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे कहां तक साबित किया है?

9.वाद विवेचन के क्रम में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी सं0–01 राम कृष्ण मांझी है, जो इस वाद का सूचक है, के साक्ष्य का प्रथमतः विवेचन करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्य परीक्षण में कंडिका 01 में कहा है कि मैं इस केस का सूचक हूं। यह केस साह अकरम, साह सौदागर, साह कमाल पर किया हूं। यह घटना करीब 06 साल पहले की है। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे। मेरा बाछी खुल गया था जिसे मैं खोजने निकला था। उपरोक्त तीनो अभियुक्तगण मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इसी बात को लेकर मैं थाना पर केस किया। आवेदन थाना पर लिखवाया था जिसपर मैं अपना अंगूठा का निशान लगाया था। कंडिका 02 में कहा है कि पुलिस मेरा बयान ली थी। कंडिका 03 में कहा है कि

आज न्यायालय में अभियुक्त साह अकरम और साह कमाल उपस्थित है इसे पहचानता हूं। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कंडिका 04 में कहा है कि अभियुक्तगण मेरा ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूं। बाछी के बारे में पूछताछ करने में बाताबाती हो गया था। अभियुक्तगण जाति लगाकर गाली गलौज नहीं किया था। इस मुकदमा में अभियुक्तगण के साथ सुलह हो गई है तथा सुलहनामा दाखिल है। अब यह केस समाप्त हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

10.बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कहा है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है, क्योंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपने परीक्षण में प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों का बिल्कुल समर्थन नहीं किये है। अतः विचारण के अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त किया जाय।

11.अभियोजन पक्ष की ओर से अपने बहस के क्रम में यह निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियोजन पक्ष अपने अभियोजन मामले को साबित करने में सफल रहा है।

12.उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं0–अभियोजन साक्षी सं0–01 राम कृष्ण मांझी है, जो इस वाद का सूचक है, के साक्ष्य का प्रथमतः विवेचन करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इसने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन की है कि यह घटना करीब 06 साल पहले की है। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे। मेरा बाछी खुल गया था जिसे मैं खोजने निकला था। उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इसी बात को लेकर मैं थाना पर केस किया। आवेदन थाना पर लिखवाया था जिसपर मैं अपना अंगूठा का निशान लगाया था। पुलिस मेरा बयान ली थी। जबकि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कथन किया है कि अभियुक्तगण मेरा ग्रामीण है, इसलिए पहचानता हूं। बाछी के बारे में पूछताछ करने में बाताबाती हो गया था। अभियुक्तगण जाति लगाकर गाली गलौज नहीं किया था। इस मुकदमा में अभियुक्तगण के साथ सुलह हो गई है तथा सुलहनामा दाखिल है। अब यह केस समाप्त हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराये गये एकमात्र राम कृष्ण मांझी ने तथाकथित घटना का समर्थन नहीं किया है। सूचक साक्षी ने अपने साक्ष्य में सुलह–समझौते की बात को स्वीकार किया है। इन साक्षी के साक्ष्य से प्राथमिकी का पूर्ण सम्पोषण नहीं होता है तथा इनके मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में घोर विरोधाभाष है। प्रस्तुत आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता व अन्य तात्विक साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सका है। जबकि उनकी उपस्थिति हेतु सभी प्रकार की आदेशिकाएं जारी की गयी है। परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश क्रिमीनल मिसलेनियस सं0–26045/2022 दिनांक–12.08.2022 में विचारण की कार्यवाही यथाशीघ्र करते हुए प्रस्तुत मामले को निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से

अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक तथा अन्य तात्विक साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जिससे तथाकथित घटना एवं घटनास्थल साबित नहीं हो पाया है, जो अभियोजन के विरूद्ध है। इस प्रकार से अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर पूरी घटना संदेहास्पद हो जाती है। मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित धाराएं युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होती है। फलस्वरूप अभियुक्तगण रिहाई पाने के अधिकारी हैं।

13.उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण शाह एकराम,शाह सौदागर एवं शाह कमल के विरूद्ध गठित आरोपों में वर्णित धारा 323/34, 341/34, 379/34, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(s) SC/ST Act. को गुण–दोषों के आधार पर दोषी न पाते हुए दोष–मुक्त किया जाता है तथा इनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है।

14.ऊपरिनामित अभियुक्त का जमानत बंधपत्र अधीन धारा 480 बी.एन.एस.एस. के प्रवाधाननुकूल अगले छः मास तक प्रवृत्त रहेगा।

15.निर्णय की एक प्रति विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, अररिया को अधीन धारा 365 दं.प्र.सं. में वर्णित प्रावधान के आलोक में अविलम्ब भेजा जाय।

16.निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–10.06.2026

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–10.06.2026